दिनांक :
25 फरवरी 2022

प्रबंधन बोर्ड की द्वादश बैठक की कार्यवाही

स्थान : डाटा सेंटर, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY

BIHAR ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY, PATNA
BIHAR VETERINARY COLLEGE CAMPUS, PATNA-800014 BIHAR

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

दिनांक 25.02.2022 को पूर्वाहन 11:00 बजे डाटा सेंटर, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में संपन्न प्रबंधन बोर्ड की द्वादश बैठक की कार्यवाही:—

उपस्थितिः—

व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति :

क्र०सं०	नाम	पदनाम
1.	**डॉ० रामेश्वर सिंह** कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	अध्यक्ष
2.	**डॉ० वीर सिंह** निदेशक (आवासीय शिक्षण), बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	सदस्य
3.	**डॉ० जय किशन प्रसाद** अधिष्ठाता, बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पटना	सदस्य
4.	**डॉ० (कैप्टन) आनन्द गोपाल बंद्योपाध्याय** कुलसचिव, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	गैर सदस्य सचिव

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति :

क्र०सं०	नाम	पदनाम
1.	**श्री संजय कुमार,** निदेशक, गव्य पशु एवं मत्स्य संसाधन, विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
2.	**श्री विजय कुमार,** विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार	सदस्य (प्रधान सचिव कृषि विभाग, बिहार सरकार के नाम निर्देशिति)
3.	**डॉ० पी० एस० पाण्डेय,** सहायक महानिदेशक, शिक्षा योजना और गृह विज्ञान, भा०कृ०अ०प०, कृषि अनुसंधान भवन–II पूसा, नई दिल्ली	सदस्य

विश्वविद्यालय के कुलसचिव सह प्रबंधन बोर्ड के सचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष के अनुमति से बैठक प्रारंभ की गई। विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड के माननीय अध्यक्ष एवं कुलपति द्वारा बोर्ड के बैठक में शामिल सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यलाय के गतिविधियों से अवगत कराया गया। तदोपरांत परिचालित कार्यावाली एवं अन्यान्य मामले पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श के पश्चात् सम्यक विचारोपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय/प्रस्ताव पारित किये गये।

कार्यावली संख्या	कार्यावली	कार्यावली की विवरणी	निर्णय
12.1	दिनांक–22.11.2021 को आयोजित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रबंधन बोर्ड की एकादश बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।	दिनांक–22.11.2021 को सम्पन्न बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रबंधन बोर्ड की एकादश बैठक की कार्यवाही एवं अनुपालन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि का प्रस्ताव है।	सम्पुष्ट।
12.2	सप्तम् अकादमिक परिषद् में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्रवाई का संसूचन।	सप्तम् अकादमिक परिषद् की दिनांक–25/06/2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट अनुमोदन हेतु प्रबंधन बोर्ड के पंचम बैठक में उपस्थापित की गई थी। प्रबंधन बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा सप्तम् अकादिमक परिषद् की कार्यवाही का अवलोकन किया गया और इसमें लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की जानकारी अगले प्रबंधन बोर्ड की बैठक में उपस्थापित करने की अनुमति दी गई। सप्तम् अकादमिक परिषद् की बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट एवं इसके निर्णयों पर की गई कार्रवाई की जानकारी प्रबंधन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।	सम्पुष्ट।
12.3	द्वादश अकादमिक परिषद् में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन।	प्रबंधन बोर्ड की द्वादश बैठक के पूर्व 12वीं अकादमिक परिषद् की बैठक दिनांक 14. 02.2022 को आहुत की गई जिसकी कार्यवाही रिपोर्ट अनुमोदन हेतु प्रबंधन बोर्ड के समक्ष उपस्थापित।	अनुमोदित।
12.4	बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले योग्य छात्र–छात्राओं की सूची का अनुमोदन।	बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के 12वीं अकादमिक परिषद् की बैठक में विभिन्न संकायों से कुल 107 छात्र/छात्राओं को डिग्री प्रदान करने की सहमती दी गई है जिसके उपरान्त छात्र/छात्राओं की सूची प्रबन्धन बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।	अनुमोदित।

<table>
<tr>
<td>12.5</td>
<td>बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में नियोजित संविदा कर्मियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन।</td>
<td>बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में गैर–शैक्षणिक पदों पर नियोजित निम्न संविदा कर्मियों के सेवा अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय कार्यहित में इनकी सेवा अवधि का विस्तार अगले छः माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो तक पूर्ववर्ती शर्तो के अनुरूप प्रबंधन बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्याशा में किया गया है। अतः सेवा विस्तार पर अनुमोदन प्रार्थित है।
<table>
<tr><th>क्र० स०</th><th>नाम</th><th>विस्तारित सेवा अवधि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>श्री सुधीर चंद्र ठाकुर</td><td>14.02.2022 से 13.08.2022</td></tr>
<tr><td>2</td><td>श्री राम शंकर ठाकुर</td><td>14.02.2022 से 13.08.2022</td></tr>
<tr><td>3</td><td>श्री सुरेश प्रसाद गुप्ता</td><td>17.02.2022 से 16.08.2022</td></tr>
</table>
</td>
<td>अनुमोदित।</td>
</tr>
<tr>
<td>12.6</td>
<td>विज्ञापन सं० 06/2021 द्वारा नियोजित श्री रबिन्द्र मोहन ठाकुर (Shri Rabindra Mohan Thakur), Financial Consultant, Bihar Animal Sciences University, Patna के नियोजन पर स्वीकृति।</td>
<td>बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना, अधिनियम के अध्याय II के कंडिका 7 (xvi) एवं प्रबंधन बोर्ड के एकादशवीं बैठक के कार्यावली संख्या 11.2 पर सम्पुष्टी के आलोक में विज्ञापन सं० 06/2021 द्वारा आवेदन आमंत्रित कर दिनांक 15.02.2022 को आयोजित अंर्तवीक्षा हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार श्री रबिन्द्र मोहन ठाकुर (Shri Rabindra Mohan Thakur), सेवानिवृत Manager (Account), COMFED, Patna का नियोजन Financial Consultant, Bihar Animal Sciences University, Patna के रूप में छः माह के लिये संविदा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग, संकल्प सं० 3/M-3/2013 GAD 10000/ Patna-15 dt. 10.07.2015 के अनुसार मासिक मानदेय पर किये जाने पर विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड को सूचित करते हुये स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध है।</td>
<td>अनुमोदित।</td>
</tr>
</table>

12.7	डॉ० कृष्ण गोपाल मंडल, सेवानिवृत विश्वविद्यालय प्राध्यापक, बी०भी०सी०, पटना के पुर्ननियोजन पर अनुमोदन।	अधिष्ठाता, बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त अनुशंसा एवं विश्वविद्यालय परिनियम की कंडिका 10.4 में निहित प्रावधान के अधीन डॉ० कृष्ण गोपाल मंडल सेवानिवृत विश्वविद्यालय प्राध्यापक, बी०भी०सी०, पटना का पुर्ननियोजन संविदा के आधार पर टीएमबीयू–06 / 2021–216 / रा.स. (I) दिनांक 12.02.2021 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, संकल्प सं० 3/M-63/2013 GAD 10000/ Patna-15 dt. 10.07.2015 के अनुसार मासिक मानदेय पर किये जाने हेतु विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन की अपेक्षा है।	अनुमोदित।
12.8	अधिष्ठाता, संजय गाँधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना के नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ करने हेतु अनुमोदन।	विश्वविद्यालय के अधीन संजय गाँधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना के अधिष्ठाता का पद रिक्त हो गया है तथा डॉ० वीर सिंह, निदेशक आवासीय शिक्षण, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को अधिष्ठाता, संजय गाँधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। संस्थान के पठन पाठन तथा कार्यालय के कार्यों को निष्पादित करने में आ रही कठिनाई को देखते हुये विश्वविद्यालय के परिनियम के अधिसूचित होने के आलोक में अधिष्ठाता, संजय गाँधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना का पद प्रकाशित कर नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण करने संबंधित प्रस्ताव विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड के सूचनार्थ ।	नोट कर लिया गया।
12.9	वेटनरी, डेयरी एवं फिशरीज फैकल्टी के शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु विभागवार Relevant Subjects के लिये आवश्यक Master's एवं Doctorate डिग्रीयों के संबंध में।	विश्वविद्यालय के अकादमिक काउन्सिल की 12वीं बैठक में वेटनरी, डेयरी एवं फिशरीज फैकल्टी के रिक्त शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु विभागवार Relevant Subjects के लिये आवश्यक Master's एवं Doctorate डिग्रीयों का वर्णन आवश्यक सुझाव के लिये प्रस्तुत किया गया था। तद्नुसार केवल Dairy Faculty के शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु Relevant subject के लिये आवश्यक Master's एवं Doctorate डिग्री पर सुझाव प्राप्त किये गये हैं। अतः संशोधित Description of relevant degrees for teaching posts of Dairy Faculty की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हैं।	अनुमोदित।

12.10	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में (Shortlisting) करने की प्रक्रिया करने के संबंध में।	विश्वविद्यालय के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया हेतु अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में साक्षात्कार के लिये अभ्यर्थियों की संख्या सीमित (Shortlisting) करने की प्रक्रिया आवश्यक है ताकि साक्षात्कार युक्तिपूर्ण समय प्रबंधन के साथ किया जा सके। अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण आवश्यक योग्यता तथा अन्य वांछित अर्हता / पात्रता के आधार पर रचित स्कोर कार्ड द्वारा किया जा सकेगा। एतद् संबंधी साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या स्कोर कार्ड / लिखित परीक्षा में प्राप्तांक/मेधा सूची के आधार पर निर्धारण की जा सकती है 1. यदि एक पद हो तो अधिकतम 10 अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकेगा। 2. दो पद होने की स्थिति में 15 अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकेगा। 3. दो से अधिक पद होने की स्थिति में प्रत्येक पद के विरूद्ध 5 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रण के लिए स्कोर कार्ड अथवा लिखित परीक्षा में न्यूनतम प्राप्त अंको का निर्धारण भी कर सकता है। प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रार्थित।	अनुमोदित।
12.11	Approval of methodology for calculating API score during leave period of teachers for assessment in Career Advancement Scheme (CAS) on the basis of Performance Based Appraisal System (PBAS) as per UGC regulations.	With reference to the above cited subject, the University in its 12th Academic Council meeting has recommended the Academic Performance Indicator (API) score for placement of teachers in the higher academic grade pay under Career Advancement Scheme (CAS) on the basis of Performance Based Appraisal System (PBAS). In this API score system, there is no provision for those teachers who remained on study leave/deputation/maternity leave during the period of assessment. To ensure the timely promotion of teachers of BASU, Patna under above subject, there should be provision for reducing the API score proportionately. University Grants Commission, New Delhi vide UGC letter F.No. 9-1/20109/ (PS)/ (Misc.) dated 5th September, 2018 have also recommended such provisions. On	अनुमोदित।

		similar lines LUVAS, Hisar, vide Memo No. Admn./ F-1/ 2016/ 4598- 4628 dated 15.06.2016 have also made the provision by reducing the minimum cumulative score proportionately. **Proposal**: **It is proposed that –** **<u>In case a teachers on study leave/deputation/maternity leave undertaken with the prior approval of the competent authority where it counts for increment, the minimum cumulative score required for eligibility shall be reduced proportionately. This period of leave shall not exceed three years during the entire service."</u>** For example: A. If the period of study leave – 03 years during promotion from stage I to II (AGP Rs. 6000 to Rs 7000), in this case, the minimum cumulative score for eligibility will be calculated as under:- Assessment score = 75 x (5-3)/5 = 30 marks B. If the period of study leave availed - 03 years (2 years during promotion from stage I to II and 1 year during promotion from stage II to III), in this case, the minimum cumulative score for eligibility will be calculated as under:- (i) Assessment from stage I to II (AGP Rs. 6000 to Rs 7000) = 75 x (5-2)/5 = 45 marks (ii) Assessment from stage II to III (AGP Rs. 7000 to Rs 8000) = 75 x (5-1)/5 = 60 marks	
12.12	कुक्कुट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में मुर्गीयों, आहार एवं दवा से संबंधित हुई क्षती को Write-Off करने के संबंध में।	कुक्कुट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में उत्पन्न आपातकालीन एवं अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न होने के फलस्वरूप मुर्गीयों, आहार एवं दवा से संबंधित हुई क्षती की राशि रुपये 7,53,831.00 (सात लाख तिरपन हजार आठ सो इकतीस) मात्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति को Write-Off (बट्टे के खाते में डाले जाने) किये जाने का प्रस्ताव है।	अनुमोदित।

12.13	बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अर्न्तगत संचालित वाहनों के सुचारू संचालन हेतु नियमावली के अनुमोदन के संबंध में।	विश्वविद्यालय के अधीनस्थ विभिन्न प्रकार के वाहनों के सुचारू संचालन हेतु हेतु गठित समिति द्वारा तैयार की गई नियमावली प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	अनुमोदित।
12.14	Service conditions and admissibility of Pay in case of Senior Officers/ Faculties appointed after superannuation /retirement from teaching post.	At Bihar Animal Sciences University, Patna all positions of Professor and almost all Associate Professors are lying vacant despite all efforts to fill up the posts. The University could not fill up the same due to poor response to advertisements of these posts. The role of senior faculty is of great importance for good progress of the newly established university. Veterinary Council of India (VCI) in its inspection report of Bihar Veterinary College, Patna vide its letter no. 6-2(5)2021-VCI/5301-5306 dated: 12.01.2022 has directed the university to fill up the posts of Professors and Associate Professors within 06 months. VCI also asked the University to submit an undertaking within 15 days in this regard. The University has already submitted the undertaking to VCI to fill up these posts. In many universities the Professors superannuate at 60 or 62 years of age whereas, in our university, the age of superannuation of teachers is 65 years. The services of such highly experienced retired Professors can be utilized by their appointment through direct selection. Most of such candidates come from far off places and they can be attracted to join our university by offering respectable pay package and service conditions so that they feel comfortable and honoured. It is to be noted that the salary is payable after deducting the amount of pension and hence net payment by the University is rather small. Inferior service conditions of seniors in comparison their junior colleagues will have demoralizing effect. We had suggested a committee with a provision of representatives of the Department of Animal and Fisheries Resources and Department of Finance, Govt. of Bihar for the purpose vide O.O.No255/883 dated 21/12/2020 read	अगले पाँच वर्ष तक के लिए अनुमोदित।

with L.No. 895 dated 232/12/2020 but, Government Departments have left the matter to the University.

In view of the aforesaid background, the following proposal is submitted for consideration and approval of the Board.

1. **<u>Service conditions and admissibility of pay of senior officers/teachers appointed after retirement /superannuation from teaching post up to the age of 65 years.</u>**

[a] Basic Pay will be fixed by protecting the Last Pay drawn including NPA/Special Pay, if any before retirement/superannuation.

[b] Allowances like DA, HRA, Medical, CTA etc. will be admissible on basic pay.

[c] Pay will be disbursed after deducting the pension as per PPO from gross pay.

[d] The candidate may exercise the option to freeze the DA on pension from his parent organization.

[e] The regular annual increment will be admissible on the basic pay as fixed as per provision mentioned at serial no. [b].

[f] Contributory Provident Fund (CPF)/ New Pension Scheme (NPS) will be applicable as per rules of the State Government.

[g] All leave including leave encashment will be admissible as applicable for the regular employees of the University.

2. **<u>Service conditions and admissibility of pay of senior officers/teachers appointed after retirement /superannuation and are above the age of 65 years.</u>**

[a] The service condition and admissibility of Pay will be governed as per the Rules of Governement of Bihar.

12.15	श्री गिरीश चन्द्र प्रसाद, वित्त नियंत्रक, (निलंबित), बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को विश्वविद्यालय अधिसूचना संख्या 380 Admin./Reg./BASU, Patna (Memo No.1730) दिनांक–24/02/2022 द्वारा विश्वविद्यालय सेवा से की गई बर्खास्तगी की सम्पुष्टि के संबंध में।	श्री गिरीश चन्द्र प्रसाद, वित्त नियंत्रक, (निलंबित), बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2005 में विहित प्रक्रियाधीन श्री प्रसाद के विरूद्व गठित आरोप प्रमाणित पाये जाने के आलोक में विश्वविद्यालय अधिसूचना संख्या 380 Admin./Reg./BASU, Patna दिनांक–24/02/2022 द्वारा विश्वविद्यालय सेवा से बर्खास्त (Dismissal from university service) किया गया है। विश्वविद्यालय अधिसूचना संख्या 380 Admin./Reg./BASU, Patna (Memo No.1730) दिनांक–24/02/2022 की सम्पुष्टि हेतु प्रबंधन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।	सम्पुष्ट।
12.16	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के पत्रांक–Ag.Edn./4(2)/2021-EP&HSf दिनांक–08.02.2022, पत्रांक–Ag.Edn./5(2)/2021-EP&HS दिनांक–09.02.2022 एवं पत्रांक–Ag.Edn./6(2)/2021-EP&HS दिनांक–03.02.2022 द्वारा निर्गत की गई राशि क्रमशः एक करोड़, पच्चास लाख एवं दस लाख का संसूचन।	ICAR Development Grant द्वारा "Strengthening and Development of AUs (Development Grant) के अंतर्गत ICAR EFC Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in Indida" के लिये वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल एक करोड, Schedule Caste-Sub Plan(SC-SP) के तहत पचास लाख एवं Library Strengthening के लिये दस लाख की राशि प्राप्त हुई है। इस राशि को चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्त तक ICAR द्वारा दिये गये मद के अनुसार तथा दिशा–निर्देश के आलोक में उपयोग किया जाना है। सूचनार्थ समर्पित।	नोट कर लिया गया।
12.17	Approval for construction of Judging Pavilion at Livestock Farm Complex (LFC) and purchase of Ambulatory Van/Unit for Veterinary Clinical Complex (VCC) as per minimum requirement of VCI approval of BVSC&AH degree.	Veterinary Council of India (VCI) vide File No. 6-2(5)/2021-VCI/5301-5306 dt. 12.01.2022 suggested in his inspection report for the constructon of Judging Pavilion at Livestock farm Complex (LFC) and purchase of New Ambulatory Van for Veterinary Clinical Complex (VCC) activity within the 6 month from	अनुमोदित।

		the letter of his letter to get the VCI approval of Bihar Veterinary College. Proposal: It is proposed for construction of Judging Pavilion at Llivestock farm Complex (LFC) with the involvement of Rs. 9,73,604/- and purchase of New Ambulatory Van/ Unit for Veterianry Clinical Complex (VCC) with the involvement of Rs.20,11,827/- Submitted for approval	
अध्यक्ष की अनुमति से अन्यान्य मामले।			
12.18	मेसर्स एन.सी.सी. लिमिटेड, माधवपुर, हैदराबाद को विश्वविद्यालय के 5 एकड़ पूर्व से आवांटित जमीन को किराया पर अगले बारह महीने मार्च 2023 तक विस्तारित करने के संबंध में।	मेसर्स एन.सी.सी. लिमिटेड, माधवपुर, हैदराबाद का पत्रांक–02 दिनांक–29/11/2021 के अनुरोध पर विश्वविद्यालय के 5 एकड़ पूर्व से आवांटित जमीन को किराये पर अगले एक साल मार्च 2023 तक विस्तारित करने के संबंध में सक्षम स्तर से गठित समिति द्वारा दिनांक–24/02/2022 को दिये गये प्रस्ताव पर संशोधित किराया 16.50 लाख प्रति वर्ष एवं 20 % प्रति छः माह की बढ़ोतरी तथा विश्वविद्यालय के निर्गत परिनियम के आलोक में विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड को उपस्थापित एवं अनुमोदनार्थ।	अनुमोदित।

बैठक के अंत में कुलसचिव–सह–गैर सदस्य सचिव, डॉ० (कैप्टन) आनन्द गोपाल बंद्योपाध्याय ने सभी सम्मानित सदस्यों एवं प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष का धन्यवाद किया। तदोपरांत बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

08.3.22

कुलसचिव–सह–गैर सदस्य सचिव,
बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
पटना–14

कुलपति–सह–अध्यक्ष,
बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
पटना–14